कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

।। मिल्क टेंकर दुग्ध संकलन परिवहन हेतु प्रकाशित निविदा ।।

1	निविदा कार्य– बी.एम.सी. दुग्ध परिवहन बाबत्	
2	निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य	राशि रू. 500/– (अक्षरी पांच सौ रूपयें मात्र)
3	अमानत राशि	राशि रू. 10000.00 (अक्षरी दस हजार रूपयें मात्र) का बैक ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर के पक्ष में देय हो।
4	निविदा अवधि	दिनांक 01.09.2018 से 31.08.2020 तक तथा कार्य संतोष जनक पाये जाने तथा आपसी सहमति पर 1–1 वर्ष कर 2 वर्ष तक अवधि बाबत्
5	निविदा प्रपत्र विक्रय स्थान एवं दिनांक	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के प्रशासनिक भवन (क्षेत्र संचालन शाखा) कार्यालयीन समय में 18.07.2018 से 14.08.2018 दोपहर 12.00 बजे तक
		दुग्ध शीत केन्द्र– बसना में 18.07.2018 से 13.08.2018 तक
6	निविदा जमा	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला में दिनांक 14.08.2018 को दोपहर 2.00 बजे तक
7	निविदा खोलना	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला में दिनांक 14.08.2018 को दोपहर 3.00 बजे

महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन)

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/ 2982 /छ्गदुमसं/क्षेत्र संचा./Ten. 2018-19 लेटर/2018 उरला, दिनांक 13 /07/2018

।। दुग्ध संकलन/वितरण/मिल्क टेंकर परिवहन निविदा सूचना ।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला तथा दुग्ध महासंघ से सम्बद्ध दुग्ध शीत केन्द्र–बसना, बिलासपुर, धमतरी, भाठागांव, अम्बिकापुर, पखांजूर, रायगढ़, जगदलपुर एवं समस्त बल्क मिल्क कूलर ईकाईयों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से, दुग्ध संकलन वाहनों से, दुग्ध संकलन कार्य के लिए तथा विभिन्न दुग्ध वितरण मार्गो पर विभिन्न क्षमता के वाहनो के लिए एक वर्ष की अवधि (01.09.2018 से 31.08. 2019 तक) एवं 5000 लीटर क्षमता के मिल्क टेंकरो एवं विभिन्न दुग्ध वितरण मार्गो पर इन्सुलेटेड वाहनो के लिए दो वर्ष की अवधि (01.09.2018 से 31.08.2020 तक) के लिये किराये बाबत् सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। दुग्ध संयंत्रो/दुग्ध शीत केन्द्रो पर निविदा प्रपत्र रू. 500.00 की दर पर उपलब्ध है, जिनको दिनांक 14.08.2018 तक दोपहर 2 बजे तक ग्राम उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा जिला–दुर्ग में जमा करना होगा।

प्राप्त समस्त निविदायें, दिनांक 14.08.2018 को दोपहर 3:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। विस्तृत विवरण दुग्ध महासंघ की वेबसाईट ूण्बहबववचकंपतलमिकण्पद पर उपलब्ध है।

महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन)

मिल्क टेंकर दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा

निविदा प्रस्तुतकर्ता का फोटो

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
ग्राम उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा
जिला–दुर्ग (छ0ग0)

महोदय,

मैने आपके कार्यालय निविदा क्रमांक 2982 दिनांक 13.07.2018 पढ़ ली है। तद्नुसार यह निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आवश्यक अनुबंध करने को तैयार हूँ। अर्नेस्टमनी **राशि रूपये 10,000.00 (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र)** का डी.डी. क्रमांक ——————— दिनांक —————— निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराऊँगा।

वांछित जानकारी निम्नानुसार है :–

01–वाहन स्वामी का नाम .... पिता का नाम ....
उप नाम .... वारिस .... उम्र .... संबंध ——————————————
02–वाहन का प्रकार.................................वाहन क्रमांक................................... मॉडल वर्ष..............................
03–वाहन का पंजीयन क्रमांक..वाहन क्षमता..........................
भार क्षमता मे.टन ....
04–मार्ग का पूरा नाम ....
05–वाहन के वैध पंजीयन, अध्यतन बीमा और अध्यतन फिटनेस सर्टिफिकेट इत्यादि कागजातों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है ।
06–बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं पेन कार्ड नंबर (छायाप्रति) ——————————————————
07–अवधि दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.08.2020 तक तथा आपसी सहमति से दो वर्ष अनुबंध अवधि बढ़ाने का महासंघ को अधिकार प्रदान करता हूँ।
08–यदि निविदाकार के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नही है तो नया वाहन क्रय हेतु कार्यादेश के पूर्व उपलब्ध कराये जाने संबंधित नोटरी से मूल शपथ–पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

नोट :– वर्ष 2013 या उसके बाद के वाहनों की निविदा ही स्वीकार की जावेगी।

मैं घोषित करता/करती हूँ कि, उपरोक्त अनुसार क्रमांक 01 से 08 तक की जानकारी सत्य है। मुझे महासंघ की सभी शर्ते एवं नियम मान्य है, अगर दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो महासंघ का अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकार पूरा नाम————————————————————
पता————————————————————————————**पेन नं.** ——————————
मोबाइल नम्बर——————————
हस्ताक्षर निविदा कमेटी सदस्य

01————————02——————— 03————————04—————————— 05 ——————————(6)——————————

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर

बी.एम.सी. परिवहन हेतु निविदा प्रस्तुत करने बाबत् निर्देश

01. प्रत्येक निविदा के साथ ई.एम.डी. **रूपये 10,000.00 (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र)** का बैंक ड्रॉफ्ट जो **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर** के पक्ष में रायपुर में देय बैंक ड्राफ्ट कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। बिना ई.एम.डी. जमा के प्रस्ताव को निरस्त (अमान्य) माना जावेगा।

02. प्रत्येक बी.एम.सी. परिवहन मार्ग तथा वाहन के लिए अलग–अलग निविदा प्रस्तुत करना होगी।

03. प्रत्येक मार्ग तथा वाहन के लिए बयाने की राशि भी अलग–अलग जमा करना होगी ।

04. निविदा में उल्लेखित दर में समस्त व्यय सम्मिलित किये जावेंगे, निविदा की दर स्पष्ट शब्दों एवं अंको में अलग–अलग प्रति किलोमीटर लिखी जावे। किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नही किया जावेगा।

05. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये, इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होंगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, तो निविदा के साथ मुख्त्यारनामा की फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।

06. निविदा अस्वीकृत होने पर बयाने की राशि चार माह में वापस लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा ।

07. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को महासंघ द्वारा निर्धारित दिन एवं समय पर अनुबंध को **रू. 1000.00 (एक हजार रू. मात्र)** के स्टॉम्प पेपर एवं वाटर मार्क पेपर पर टाईप करवाकर, नोटरी करवाकर अनुबंध पर स्वयं के फोटो सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा, निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रेषित नही किया जाता है, तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी, तथा बयाना राशि जप्त कर ली जावेगी, अनुबंधकर्ता को निर्धारित दिन एवं समय पर प्रतिभूति राशि जो निर्धारित है नगद जमा करना होगी। निर्धारित समयावधि में पूर्ण प्रतिभूति राशि जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी, साथ ही संपूर्ण बयाना राशि जप्त कर ली जावेगी।

08. प्रतिभूति राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है ।

इन्सुलेटेड मिल्क टेंकर 709, (5000 लीटर दूध क्षमता)	रूपये 1,20,00.00

09. अमानत/प्रतिभूति राशि पर महासंघ द्वारा कोई ब्याज नही दिया जावेगा।

10. दुग्ध महासंघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गो को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार महासंघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो महासंघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है इसी तरह जितनी भी दूरी घटे–बढे उसे निर्धारित दर से भाड़े का भुगतान किया जावेगा। साथ ही मार्ग की बी.एम.सी. दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन बी.एम.सी. दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी उसमें शामिल या अन्य मार्गो में शामिल किया जा सकेगा जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनो का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नही किया जावेगा।

11. संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

12. दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।

13. दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर वाहन को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

14. अनुबंधकर्ता को प्रत्येक माह प्रति 15 दिवस का परिवहन देयक (दिनांक 01 से दिनांक 15 एवं दिनांक 16 से दिनांक 31 तक) निर्धारित देयक पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ठेकेदार के नाम, पते एवं पेन नंबर की सील होना आवश्यक होगा। परिवहन देयकों के भुगतान हेतु दिनांक 1 से दिनांक 15 तक का देयक प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 17 तक महासंघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 10 तक किया जावेगा, उसी प्रकार प्रत्येक माह की दिनांक 16 से दिनांक 31 तक का देयक दिनांक 2 तक महासंघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होंगे जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 25 तक किया जावेगा ।

15. पृथक–पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत होने पर महासंघ को यह अधिकार होगा कि वह जिस मार्ग की निविदा स्वीकृत करें, उसे प्रस्तुतकर्ता को मान्य करना होगा ।

16. प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि, बिना कारण बताये किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को अमान्य कर निरस्त कर दें और निगोशिएशन के आधार पर अंतिम निर्णय करें।

17. निविदा स्पष्ट/पूर्ण भरी होना चाहिए । अस्पष्ट, कटी–फटी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा ।

18. महासंघ द्वारा समय सारणी निर्धारित सामान्यतः 50 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से बनाई जावेगी, तथा प्रत्येक पाइन्ट हेतु पॉच मिनिट का समय दूध उठाने तथा खाली केन प्रदाय करने तथा आवश्यक सामग्री देने एवं ट्रक शीट की पूर्ति हेतु दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में महासंघ द्वारा गति सीमा घटाई जा सकती है ।

19. निविदाकार को अपने निजी वाहन के उपयोग हेतु ही निविदा प्रस्तुत करना होगी, निविदा के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी तथा स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) संलग्न करना होगी तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल पंजीयक प्रमाण–पत्र बतलाना होंगे

20. निविदा प्रस्तुतकर्ता ने उल्लेखित वाहन क्रय किया तथा किसी कारण से उसके नाम पंजीयन हस्तांतरित नही हुआ है, तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को यह आवयश्क होगा कि, निविदा के साथ वाहन खरीदी का प्रमाण–पत्र की फोटो कॉपी संलग्न करें। (सेलडीड) (विक्रय प्रमाण पत्र) लेकिन अनुबंध प्रारंभ होने के दिनांक तक वाहन ठेकेदार को वाहन अपने नाम पंजीकृत करवाकर उसकी फोटो कॉपी एवं मूल पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा प्रतिभूति राजसात की जाकर निविदा निरस्त की जा सकेगी ।

21. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर लाना होगा।

22. निविदा प्रस्तुतकर्ता यदि जानबुझकर निविदा प्रपत्र में गलत जानकारी देता है, तो महासंघ को यह अधिकार होगा कि जमा अमानत की राशि जप्त कर लें।

23. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों के सगे संबंधी जैसे पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री, पिता, सगे भाई, बहन अथवा निकट के रिश्तेदारों को निविदा भरने की पात्रता नही होगी। वाहन ठेकेदार को इस बाबत् प्रथक से शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना होगा।

24. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर अनुबंधकर्ता द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा जोखा वाहन ठेकेदार को ही रखना होगा।

25. द्वितीय पक्ष को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताऐ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यो में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में महासंघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नही दी जावेगी। प्रथम पक्ष द्वारा इस इकरारनामा की शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में प्रबंध संचालक को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस इकरार नामा को निरस्त करने व इकरारनामा निरस्त करने की दशा में महासंघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी ।

26. वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर महासंघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में महासंघ के उत्पादों का विज्ञापन अनुबंधित वाहन पर लिखवाना होगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर निर्धारित अवधि में विज्ञापन नही लिखवाया जाता है तो महासंघ द्वारा विज्ञापन लिखवाया जावेगा, एवं उसका समस्त व्यय वाहन ठेकेदार से काटा जावेगा।

27. अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। ईधन के रूप में अन्य कोई (घासलेट, मिलावट डीजल या गैस) उपयोग वर्जित माना जावेगा ।

28. आयकर विभाग से यदि स्थाई लेखा संख्या नम्बर है तो महासंघ को प्रस्तुत करना होगा। स्थाई लेखा संख्या नं. (पेन नं.) पस्तुत न करने पर आयकर अधिनियम अनुसार टेक्स का कटौत्रा किया जावेगा।

29. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

30. समस्त न्यायालयीन कार्य का कार्यक्षेत्र रायपुर ही रहेगा।

31. वर्ष 2013 या उसके बाद के पंजीकृत वाहन हेतु निविदा प्रस्तुत की जावे।

32. जिन वाहन/वाहन ठेकेदारों को काली सूची में दर्ज किया गया है, उनकी निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा एवं सीधे निरस्त कर दी जावेगी।

33. यदि कोई वाहन ठेकेदार जिसके पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नही हो एवं वह निविदा स्वीकृति उपरांत निर्धारित अवधि में नया वाहन उपलब्ध करा सकता है तो इस बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निविदा भर सकता है। निर्धारित अवधि में वाहन उपलब्ध न कराने पर आपकी जमा अर्नेस्टमनी राजसात की जावेगी।

34. निविदाकार द्वारा यदि अत्यधिक कम (अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की स्थिति में) दरें दी गई हैं तो वह मान्य नहीं होगी तथा निविदा निरस्त की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

35. यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित (ब्लेक लिस्टेड) किया गया है, तो वह निविदा नहीं भर सकता यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा एवं जमा अर्नेस्टमनी राजसात की जा सकेगी।

36. बी.एम.सी. मिल्क टैंकर वाहनों पर **GPS System** लगवाना आवश्यक होगा। यह दुग्ध महासंघ द्वारा अपने व्यय पर लगाया जाएगा, लेकिन इसका मासिक सीम एवं रखरखाव का व्यय प्रथम पक्ष को वहन करना होगा, इसका कटौत्रा वाहन ठेकेदार के परिवहन देयक से किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति पर उक्त **GPS System** प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष (महासंघ कार्यालय) को वापिस किया जावेगा।

37. यह ठेका अवधि अर्थात दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.08.2020 तक की होगी, जिसे आपसी सहमति से दो वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

38. दुग्ध परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि में सामान्यता वृद्धि नही की जाए। निर्धारित अवधि समाप्त होने के 3 माह पूर्व ही निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जावे।

39. निविदा क्रयकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा की वर्तमान व्यवस्था के साथ–साथ टेंकर में जी.पी.एस. मानीटरिंग सिस्टम, चाहे अनुसार सेंसर एवं लेबल सेंसर तह सीसीटीवी केमरा स्थापित हो।

40. महासंघ द्वारा उड़नदस्ते का गठन कर अनुबंधित टेंकर का अकास्मिक रूप से फालोअप एवं चेकिंग कर टेस्टिंग कराई जाऐगी, जिसमें अनुबंधकर्ता को दोशी पाऐ जाने पर अनुबंध निरस्त किया जावेगा।

41. टेंकर के ढक्कन के अन्दर भी गन सील लगाने की व्यवथा की जावे। ढक्कन के Hinge में भी सेंसर लगाये जावे।

42. टेंकरों में डीजल भरवाने/बेट्री परिवर्तन/चार्जिग/सुधार कार्य पूरे दिन में एक बार ऑफ टाईम में ही सुनिश्चित किया जाए।

43. समस्त टेंकरों में बैरल के ऊपर के ढक्कन के साथ सपोर्ट होना आवश्यक है, साथ ही पीछे के नटबोल्ड की वेल्डिग कराई जाए ताकि उन्हें खोला न जा सके।

44. टेंकरों के परिचालन हेतु समय सारणी बनाकर उसका पालन कराना सुनिश्चित किया जाए।

45. प्रथम बी.एम.सी. से लेकर अंतिम बी.एम.सी. तक पृथक–पृथक सील लगाई जाए जिसे खोलने का अधिकार केवल बी.एम.सी. समिति को ही होगा।

46. अंतिम सील गुण नियंत्रण शाखा की उपस्थिति में दुग्ध शीतकेन्द्र/संयंत्र पर सत्यापित कर खोली जाए।

47. टेंकर प्राप्त होने पर तौलने के पूर्व केबिन के अंदर पानी की केन, स्टेपनी आदि का सत्यापन कराया जाए।

48. सेम्पल लेने के पूर्व सील का सत्यापन कराया जाए।

49. एक ही अवस्था में तौल कांटे पर वजन लिया जाकर पंजीबद्ध किया जाए।

50. प्रत्येक टेंकर में दुग्ध परिवहन करते समय बीएससी/डेयरी टक्नोलाजी/बीएससी केमीस्ट्री की योग्यता प्राप्त कर्मचारी को टेंकर से दुग्ध परिवहन के दौरान टेंकर में बैठाने की व्यवस्था करें। इस हेतु ठेकेदार तथा सर्विस प्रोवाईडर से सेवाएं ली जा सकती है।

51. टेंकर परिवहन के दौरान रखे गये उक्त कर्मचारी को गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षण दुग्ध महासंघ के प्रभारी गुण नियंत्रण द्वारा दिया जाकर आगामी 7 दिवस में प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर

इन्सुलेटेड मिल्क टेंकर मार्ग संबंधी जानकारी

क्रं.	मार्ग का नाम	संख्या	अनुमानित दूरी कि.मी.	अनुमानित क्षमता लीटर	वांछित वाहन का प्रकार
1	1–भगतदेवरी–उमरिया–मोहदा बी.एम.सी. से बसना शीत केन्द्र (सुबह पाली) 2–केदुवा–अमलीडीपा–केना बी.एम.सी. से बसना शीत केन्द्र (शाम पाली)	1	96 कि.मी. 112 कि.मी.	5000	टाटा 709 एवं समान भार क्षमता का वाहन
2	1–बनहर–सालर बी.एम.सी. से बसना शीत केन्द्र (सुबह पाली) 2–अमझर–खर्री बड़े बी.एम.सी. से बसना शीत केन्द्र (सुबह पाली)	1	116 कि.मी. 116 कि.मी.	5000	–''–
3	1–रोहांसी–अमेरा–कोसरंगी–बड़गांव–बंगोली–लखौली बी.एम.सी. से उरला डेयरी	1	260 कि.मी.	5000	–''–

नोट :–

01– यदि वाहन स्वामी चाहे तो निर्धारित क्षमता से अधिक की निविदा भी प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जा सकेगा।

03– बी.एम.सी. मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

04– दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।

05– दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

06– वर्ष 2013 या उसके बाद के वाहनों की निविदा ही स्वीकार की जावेगी।

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु इन्सुलेटेड मिल्क टेंकर अनुबंध पत्र

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ——————— को लिखा गया, जिसका द्वितीय पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर एवं प्रथम पक्ष श्री/श्रीमती ——————————— निवासी ——————————— एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती ——————————— से है ।

संविदाकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर द्वारा दुग्ध महासंघ के कार्यक्षेत्र में दुग्ध सहकारी समितियों से जहां बल्क मिल्क कुलर स्थापित है वहां से डेयरी संयंत्र ——————————— तक दुग्ध संकलन पहूंचाने हेतु इन्सुलेटेड मिल्क टेंकर द्वारा दुग्ध परिवहन करने वाले अपने निजी वाहन ——————————————— द्वारा निर्देशित समय पर टेंकर से दुग्ध परिवहन हेतु आवेदन किया है और प्रबंध संचालक ने जिसमें आगे लिखे गये अनुबंधो एवं शर्तो पर संविदाकार का आवेदन परिवहन दर रू.——————— अक्षरी रूपये ——————————— प्रति कि.मी./प्रतिदिन पर स्वीकार किया है।

अतएव् यह अनुबंध पत्र इस बात का साक्षी है एवं एतद् द्वारा मार्ग ——————————— एवं दर रू.——————————— अक्षरी रूपये ———————————————प्रति कि.मी. पर अग्रलिखित समस्त शर्तो के अनुसार अनुबंध किया जाता है। अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा एवं यह शर्ते उभय पक्षो को मान्य है। दुग्ध संकलन मार्गो पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारंभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ती पर महासंघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

01. यह ठेका अवधि दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.08.2020 तक प्रभावशील रहेगी, परंतु प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सहमति से यह अनुबंध अवधि दो वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार रहेगा साथ ही अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात 03 माह ओर बढ़ाने का अधिकार महासंघ के पास सुरक्षित रहेगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने तथा आपसी सहमति पर 1–1 वर्ष कर 02 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

02. प्रतिदिन दुग्ध समितियों (बल्क मिल्क कूलर वाली) में संकलित दूध को दूध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र————————— तक परिवहन की जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी। इस हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार निर्देश दिये जावेंगे। निर्देशानुसार समस्त दुग्ध समितियों का दूध (क्षमता अनुसार) लाना होगा, यदि एक बार में समस्त संकलित दूध नही आ सकें तो एक से अधिक बार दुग्ध संकलन हेतु आना जाना–होना।

03. यह की दुग्ध समितियों से दुग्ध संयंत्र तक की दूरी का सत्यापन महासंघ के वाहन से किया जावेगा एवं तद्नुसार ही भुगतान किया जावेगा।

04. यह कि दुग्ध परिवहन हेतु टेंकर बैरल एस.एस. 304 इन्सूलेटेड होना आवश्यक है ।

05. यह कि टेंकर का वाल्व लिकेज नही होना चाहिए, लिकेज होने की दशा में होने वाली दूध हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से कटौत्रा की जावेगी।

06. प्रथम पक्ष द्वारा समितियों को दिये जाने वाले सामान जैसे मिनरल मिक्सचर, टेस्टींग सामान, एवं स्टेशनरी सामान ले जाना होगा एवं इसका लेखा–जोखा प्रथम पक्ष को रखना होगा। महासंघ से भेजे गये सामान को समिति को देकर प्राप्ति रसीद महासंघ कार्यालय में जमा करना होगी। समिति को भेजा गया सामान प्राप्त न होने पर उस सामान की राशि का कटौत्रा प्रथम पक्ष के देयक से किया जावेगा

07. यह कि यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है एवं इसकी सूचना दी जाती है तो प्रथम पक्ष को उन दिनों का कोई भाड़ा देय नही होगा।

08. यह कि निर्देशित समय से संस्थाओं का संकलित दूध डेरी संयंत्र तक लाने की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी, किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्ष को करना होगी, डेरी संयंत्र पर दूध नही पहूंचने की स्थिति में दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह प्रथम पक्ष से वसुल की जावेगी । यदि प्रथम पक्ष द्वारा संकलन हेतु वाहन नही भेजा जाता है एवं द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवस्था कर वाहन भेजा जाता है एवं इसमें महासंघ को जो भी अतिरिक्त राशि देना पड़ेगी वह राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जावेगी।

09. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्या कृत्यों (ऐसे कृत्या कृत्य जिनके लिये स्वयं प्रथम पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधी या उनकी और से कार्य करने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हो, को छोडकर जो प्रथम पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणो को छोडकर वाहन के निश्चित समय पर नही आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को जो खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत दुग्ध संकलन के क्रय मूल्य से देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी समय के देयक से काट ली जावेगी।

10. क्रमांक 9 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/प्रथम पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्या, कृत्यो का पंचनामा बनाकर प्रथम पक्ष द्वारा उसी पाली में कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि प्रथम पक्ष को वापिस की जा सकेगी।

11. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं ऐसे नुकसान का कटौत्रा प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से किया जावेगा।

12. वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन परिवहन हेतु वाहन नही भेजा जाता है, तो इससे समिति/महासंघ को होने वाली संम्पूर्ण हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये दुग्ध परिवहन हेतु इन्सुलेटड टेंकर की व्यवस्था करना होगी। यदि महासंघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली भी प्रथम पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकती है ।

13. महासंघ के कार्य से महासंघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।

14. महासंघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नही लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो आर्थिक दण्ड किया जावेगा।

15. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे महासंघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे इनके द्वारा लापरवाही या अभद्र व्यवहार करने की दशा में महासंघ के आदेशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही करना होगी।

16. प्रथम पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा महासंघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/महासंघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड दे या प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें।

17. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा महासंघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूल कर लें।

18. चेकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर पाया जाता है कि वाहन कर्मचारियों द्वारा दूध में गडबडी, हेराफेरी, दूध निकालकर विक्रय करने या दूध पीते हुए पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की अनियमितता करते हुए पाये जाते है, तो अनुबंध अवधि की समस्त दूध कमी एवं इससे समिति/महासंघ को होने वाली हानि का देनदार प्रथम पक्ष रहेगा एवं अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकारी द्वितीय पक्ष को होगा, साथ ही द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष को 02 वर्ष हेतु प्रतिबंधित (ब्लेक लिस्टेड) किया जा सकेगा।

19. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सहकारी/सरकारी कानुन अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से महासंघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो वह प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी ।

20. द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नही करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि प्रथम पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये प्रथम पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।

21. डेरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नही चलाये जावेंगे, डेरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नही की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नही करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो महासंघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड दिया जावेगा उसका प्रथम पक्ष देनदार रहेगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नही जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।

22. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घंटो में पुनः सुधरवाया जावेगा।

23. दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाऐं लिखवाना होगी एवं पत्र पेटी अपनी ओर से लगवाना होगी।

24. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि महासंघ/समितियों की निकलेगी तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी प्रथम पक्ष ओर उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।

25. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

26. प्रथम पक्ष अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नही चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर पर समान क्षमता एवं मॉडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा इस हेतु हस्तांतरण शुल्क रूपये 5,000.00 महासंघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नही दी जावेगी।

27. प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती /कुं. ..... संबंध ..... उम्र ..... को पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। उसकी मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं. ..... को महासंघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा।

28. अनुबंधकर्ता तथा अधिकृत अधिकारी के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय महासंघ के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जावेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

29. महासंघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, सगे भाई बन्धू नही है यह तथ्य प्रथम पक्ष शपथ–पत्र पर प्रकट करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।

30. प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाऐं जावेगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे, एवं वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।

31. स्थानीय/छत्तीसगढ़ शासन/भारत शासन द्वारा जो भी कर की दरें लागू की जावेगी वह वाहन अनुबंधकर्ता के परिवहन देयकों से काट ली जावेगी एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा की जाकर उसका प्रमाण–पत्र महासंघ द्वारा निविदाकर्ता को दिया जावेगा।

32. द्वितीय पक्ष को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताऐ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यो में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में महासंघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नही दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस इकरार नामा की शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में प्रबंध संचालक को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस इकरार नामा को निरस्त करने व इकरारनामा निरस्त करने की दशा में महासंघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी।

33. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि प्रत्येक तीन माह में प्रभावशील दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

क्रमांक	**वाहन का प्रकार**	**औसत प्रति लीटर**
	इन्सुलेटेड टेंकर 709 एवं समान क्षमता का वाहन (5000 लीटर दूध)	8 कि.मी

डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नही की जावेगी ।

34. विभिन्न दुग्ध समितियों द्वारा टेंकर में दूध लोड किये जाने वाले दूध की मात्रा एवं फेट/एसएनएफ का सत्यापन प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा तथा तद्नुसार दुग्ध संयंत्र में पहूंचने पर कुल दूध की मात्रा एवं फेट/एसएनएफ के हस्तांतरण प्रथम पक्ष का होगा। किसी प्रकार की दूध मात्रा एवं फेट/एसएनएफ कम आने पर अंतर की वसुली प्रथम पक्ष के देयको से की जा सकेगी।

35. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षति पूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा, जोखा प्रथम पक्ष स्वयं को ही रखना होगा।

36. अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाने पर अनुबंध दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा।

37. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) की छायाप्रति महासंघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात् ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी ।

38. प्रथम पक्ष को टेंकर परिवहन स्टॉफ के अधिकृत लायसेंस पुलिस सत्यापन पश्चात छायाप्रति महासंघ कार्यालय को प्रस्तुत करना होगी।

39. प्रथम पक्ष द्वारा टेंकर ढ़ाबा/होटल/दुकान आदि के सामने खड़ा नहीं रखा जावेगा।

40. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

41. प्रथम पक्ष द्वारा टेंकर की क्षमता आर.टी.ओ. से सत्यापन करवाया जावे एवं उसकी प्रति महासंघ कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

42. प्रथम पक्ष द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना होगी।

43. प्रथम पक्ष द्वारा टेंकरों पर महासंघ का विज्ञापन पेंटिंग स्वयं के व्यय पर करना होगी।

44. टेंकर का तापमान 2 डिग्री सेंटिग्रेड से अधिक न हो।

45. दुग्ध महासंघ अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमताओं के टेंकरो को एक मार्ग से दुसरे मार्ग पर अथवा नवीन पुर्नगठित मार्ग पर टेंकर को चला सकता है एवं उसी अनुसार दुरी का भुगतान किया जावेगा।

46. बी.एम.सी. मिल्क टैंकर वाहनों पर **GPS System** लगवाना आवश्यक होगा। यह दुग्ध महासंघ द्वारा अपने व्यय पर लगाया जाएगा, लेकिन इसका मासिक सीम एवं रखरखाव का व्यय प्रथम पक्ष को वहन करना होगा, इसका कटौत्रा वाहन ठेकेदार के परिवहन देयक से किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति पर उक्त **GPS System** प्रथम पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष (महासंघ कार्यालय) को वापिस किया जावेगा।

47. दुग्ध संकलन वाहन/बी.एम.सी. टेंकर के वाहन चालक 18 वर्ष कम तथा बिना लाईसेंस के न हो प्रत्येक वाहन चालक से उसके लाईसेंस की प्रति अनिवार्यतः दुग्ध संघ में प्रथम पक्ष द्वारा जमा कराई जावें। वाहन चालकों का रिकार्ड/लाईसेंस की प्रति, पता/मोबाइल नं./प्रमाण पत्र/अनुभव आदि दुग्ध महासंघ में प्रस्तुत किये जावे।

48. दुग्ध महासंघ के संकलन वाहन/बी.एम.सी. टेंकर वाहन चालक मद्यपान कर के वाहन न चलाए ऐसे वाहन चालकों की प्रथम पक्ष द्वारा निरंतर चैकिंग की जाए तथा दोशियों को सेवा से पृथक किया जावे।

49. प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो की अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।

50. समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र रायपुर रहेगा।

मैं श्री/श्रीमती ———————————————— प्रथम पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तो का अवलोकन भली भांति एवं होशोंहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष द्वितीय पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित,रायपुर (द्वितीय पक्ष)

हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता (प्रथम पक्ष)
नाम ————————————————
पिता/पति का नाम ————————————
पता ————————————————

दूरभाष क्रं. ————————————————
मोबाईल नम्बर ————————————————
स्थाई लेखा संख्या पेन————————————

अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर ————————————
01. नाम ————————————
पता ————————————
मो0 नं. ————————————
आई.डी. प्रूफ ————————————

02. नाम ————————————
पता ————————————
मो0 नं.————————————
आई.डी. प्रूफ ————————————

अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता

हस्ताक्षर ————————————
01. नाम ————————————
पता————————————
मो0 नं.————————————
आई.डी. प्रूफ ————————————

02 नाम————————————
पता————————————
मो0 नं.————————————
आई.डी. प्रूफ ————————————

<u>नोटः—</u> उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र ————————
सील सहित